

ला बून्दी (राज)

नम्बर  
अहकाम  
हुकम  
में जा


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9.11.23	<p>पत्रावली में वकील पक्षकारान पीठासन अधिकारी महोदय दौरे राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 30.1.24 को पेश हो।</p>	
30.1.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 6.2.24 को पेश हो।</p>	
6.2.24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील जर्जी शर्मा दौरे वकील जर्जी ने गौदपुत्र के सम्बन्ध में दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 14.2.24 को पेश हो।</p>	
14.2.24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व में दिये गए आदेश की पालना हेतु अवसर दया। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22.2.24 को पेश हो।</p>	
22.2.24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान जर्जी उपस्थित है। बस प्राप्ति अन्तिम लुनी गई। वकील जर्जी ने प्राप्ति में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकील जर्जी ने गौदपुत्र के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट पठ हंसाडेडा पोखर व गोकुल दो अलग-अलग व्यक्ति होने से पितृ का माम शुद्धि योग्य नहीं है। तथा पोखरका उर्फ रामप्रसाद का सही नाम रामप्रकाश है। दस्तावेजों में नाम रामप्रकाश है।</p>	



Handwritten signature

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अ हुक्म में जा
----------------	------------------------------------	----------------------

हमने प्राप्ता, शपथ पत्र पुराने  
 रिफार्ड दस्तावेज आदि का प्रवलोकन  
 किया। बटल प्राप्ता धुनी गई  
 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक  
 स्वीकार किया जाता है। ग्राम  
 भण्डारा तहसील नैनवां के खाता  
 संख्या नया 74 के खसरा ले.  
 270, 278 व 279 में दर्ज "फोखरा  
 अर्क रामप्रसाद पुत्र पोखर" के स्थान  
 पर "रामप्रकाश पुत्र पोखर" इन्ड्रान  
 दुरस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार  
 नैनवां को दिये जाते हैं। निम्न  
 खुले न्यायालय में सुनाया गया।  
 पत्रावली बाद तकमील दाखिल  
 दफ्तर है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 नैनवां (बूढ़ी)